4.39. **पुन: संयोजन के लिए प्रक्रिया**

(क) संयोजक, जो स्थायी रूप से असंयोजित किया जाता है, पुन: संयोजित नहीं किया जायेगा और उपभोक्ता को नये संयोजन के लिए आवेदन करना होगा।

(ख) अस्थायी असंयोजन के मामले में आपूर्ति असंयोजन के कारण को हटाये जाने के बाद पुन: संयोजित की जायेगी।

(ग) यदि असंयोजन बिल का भुगतान न करने के कारण था, तो संयोजन को पुन: नोटिस की प्रतिलिपि के साथ उपभोक्ता के आवेदन पर संयोजित किया जायेगा।

(घ) विहित असंयोजन और पुन: संयोजन की फीस के साथ बकाये की भुगतान की प्राप्ति पर आपूर्ति पूर्ण आवेदन को प्रस्तुत करने के 24 घण्टे के भीतर पुन: संयोजित की जायेगी, परन्तु जहां सेवा केबल/सुचालक को पुन: निर्मित किया जाना है, वहां संयोजन 48 घण्टे के भीतर पुन: संयोजित किया जायेगा।

(ङ) यदि भुगतान चेक (बैंकर के चेक के अतिरिक्त) द्वारा किया जाता है, तो आपूर्ति चेक के वसूली के बाद पुन: संयोजित की जा सकेगी।

(च) अन्य मामलों में आवेदक विहित असंयोजन और पुन: संयोजन फीस के साथ कारण को हटाने के बाद और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पुन: संयोजन के लिए आवेदन करेगा :

(*i*) असंयोजन/पुन: संयोजन फीस की भुगतान की रसीद

(*ii*) एल० ई० सी० द्वारा परीक्षण रिपोर्ट, यदि असंयोजन खण्ड 4.36 (घ) और 4.36 (ङ) के अधीन किया गया था।

(*iii*) कारण को हटाने का दस्तावेजी साक्ष्य, यदि संयोजन खण्ड 4.36 (ख) के अधीन किया गया था।

(*iv*) खण्ड 4.36 (ङ) के अधीन आच्छादित मामलों में शपथ-पत्र।

(*v*) खण्ड 4.36 (च) के अधीन आच्छादित मामलों में आधिक्य भार (प्रतिभूति धनराशि, संयंत्र भार इत्यादि) के विनियमितीकरण के लिए भुगतान की रसीद अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता द्वारा असंयोजन के कारण के हटाने की परिसीमा पर परिसर का निरीक्षण करेगा और यदि उसे समाधान हो जाता है कि असंयोजन के कारण को हटाया गया है, तो आपूर्ति सूचना के 24 घण्टे के भीतर पुन: संयोजित की जायेगी।